उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्याः 10/I/526779/2024-सी0एक्स 0-3

लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2024

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग जे० एच ० बी० डी० पी० एल० प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन स्थापित सेक्शनलाइज्ड वाल्व स्टेशन-7 द्वारा गैस आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस 0 ओ 0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या- 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस 0 ओ 0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उक्त स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

<u>अनुसूची</u>

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
आ0नं0-164 रकबा 0.3570 हे0 एस0 वी0 एस0-7, मौजा-भगवानपुर परगना-महुआरी, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।	
पूर्व में-	चकरोड बादहू जमीन जगरदेव ।
पश्चिम मे	सराय-मथेला-नहर पक्का मार्ग ।
उत्तर में	अराजी संख्या-164 का शेष भाग, कन्हैया की भूमि।
दक्षिण में-	नाली बादहू जमीन चन्द्रभान ।

आज्ञा से,

ह0/

(ए0 वी0 राजामौलि)

सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
GOPAN ANUBHAG-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 10 /**I/526784 /2024** -CX-3, dated March 22 , 2024 for general information.

NOTIFICATION

No. 10 /I/526784 /2024-CX-3

Lucknow; **Dated: March 22 , 2024**

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying Gas by Established Sectionalised Valve Station-7 Under JHBDPL Pradhanmantary Urja Ganga Project ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4 th May, 1963, published in Part II, section 3, sub -section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11 th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place** " for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the Prohibited Place.	
Araji No.164 Raqva 0.3570 He. S.V.S.- 7 Mauza-Bhagwanpur, Par.-Mahuari,Tehsil-Sakaldiha, District-Chandauli, Uttar Pradesh.	
In East-	Chakroad Badhu Ind Jagardev.
In West-	Sarai-Mathela-Canal paved road.
In North-	Remaining part of Araji No.164 Kanhaiyas land.
In South-	Drain bahu land Chandrabhan.

By order,

Sd/-

(**A.V. Rajamauli**)
Secretary.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।